दिनांक – 31.10.2022

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.8978 हैक्टेयर वाकें ग्राम सूबेदार का पुरा में से 0. 4430 हैक्टेयर यानी 01 बीघा 15 विस्वा भूमि रैस्पाडेण्ट संख्या 02 ने दिनांक 01.02.2021 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की थी तथा उसी दिनांक 01.02.2021 को उक्त कृषि भूमि के शेष क्षेत्रफल 0.4556 हैक्टैयर यानी 01 बीघा 16 विस्वा को अपीलांट ने विधिवत रूप से जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था तथा कब्जा स्वत्व प्राप्त किया था। एवं रैस्पोडेण्ट संख्या 02 तथा अपीलांट एक ही परिवार की महिला है तथा दानो विकय पत्रों पर समान ही गवाह है। इसलिए अपीलाण्ट एवं रैस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपने दोनो उक्त विकय पत्रों को हल्का पटवारी को नामान्तरण खोलने हेतु दे दिया था। हल्का पटवारी ने रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के विकय पत्र में विकीत पत्र में विकीत कृषि भूमि (अपीलाधीन कृषि भूमि) के राजस्व रिकॉर्ड में 01 बीघा 15 विस्व भूमि पर अपीलाधीन नामान्तरण खोलने के बजाय खसरा नम्बर 362, 363 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल यानी 0.8978 हैक्टैयर यानी 71 विस्व भूमि पर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारि कर दिया तथा अपीलांट के पक्ष में हुए विकय पत्र का नामान्तरण नहीं खोला तथा अपीलाधीन नामान्तरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सवथा विपरित है अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपीलांट के पक्ष में हुए विकय पत्र को तथा रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के पक्ष में हुए विकय पत्र को नाम मात्र के लिए भी नहीं देखा तथा रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के पक्ष में

उपखण्डाधिकारी
(राज०)

विक्रीत हिस्से से 01 बीघा 15 बिस्वा की बजाय 71 बिस्वा का नामान्तरण आदेश पारित कर दिया जो काबिल खारिजी के है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 स्वंय उपस्थित हुई।

अपीलार्थी की ओर से अपील के समर्थन में विक्रय पत्र तारीख 01.02.2021 वहक श्रीमती कैलादेवी पत्नि मुकेश चंद, जाति वघेला निवासी ग्राम खुर्द सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर, विक्रय पत्र तारीख 01.02.2021 वहक श्रीमती मिथलेश पत्नि पप्पू, जाति वघेला निवासी ग्राम खुर्द सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर, प्रमाणित प्रति जमाबंदी खाता संख्या 50 वांके ग्राम सूबेदार का पुरा तहसील व जिला धौलपुर संवत 2076–79, प्रमाणित प्रति नामान्तरण संख्या 282 वांके ग्राम सूबेदार का पुरा तहसील व जिला धौलपुर संवत 2076–79, छायाप्रति आधार कार्ड अपीलाण्ट पेश किये गये है।

वकील अपीलान्ट एवं रैस्पोडेण्ट संख्या 02 की वहस सुनी गई वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वंय ने अपील स्वीकार करने हेतु सहमति जाहिर की ।

पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा एंव प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा दिनांक 01.02.2021 बलराम व अन्य बहक श्रीमती कैलादेवी के अवलोकन से विक्रेतागण बलराम वगैरा ने विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/8 भाग से अपीलान्ट के हक में 0.4556 है. का बेचान किया है तथा वयनामा दिनांक 01.02.2021 बलराम व अन्य बहक मिथलेश के अनुसार बलराम वगैरा ने विवादित आराजी में 1/8 भाग से 0.4430 है. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में बेचान किया है जबकि नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 20.03.2021 स्वीकार दिनांक 06.04.2021 से हिस्सा पूर्ण का मिथलेश पत्नि पप्पू जाति बघेला सा.देह खातेदार के नाम नामान्तरण दर्ज किया है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 282 ग्राम सूबेदार का पुरा ग्रा.प. सिंघावली काबिली निरस्ती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एंव उभयपक्ष की सहमति के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 20.03.2021 स्वीकार दिनांक 06.04.2021 ग्राम सूबेदार का पुरा ग्रा.प. सिंघावली निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मनियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पुनः विस्तृत जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned with AnyScanner